"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 685] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2025 — भाद्र 3, शक 1947

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, सेक्टर–19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 अगस्त 2025

प्रकरण क्रमांक एफ–68–10/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2025/1236

श्री देवनारायण साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद, आम निर्वाचन माह फरवरी 2025, नगर पंचायत समोदा, जिला रायपुर (छ.ग.).

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 22 अगस्त 2025.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रायपुर (छ.ग.) के प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2025 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–ख के तहत प्रारंभ किया गया है ।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत समोदा, जिला रायपुर (छ.ग.) के माह फरवरी 2025 में सम्पन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू भी सम्मिलित थे। निर्वाचन परिणाम 15 फरवरी 2025 को घोषित किया गया । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र, परिशिष्ट–तिरपन में दिनांक 24.03.2025 को जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत समोदा, जिला रायपुर के निर्वाचन माह फरवरी 2025 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् विहित रीति से निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है । यह अधिनियम की धारा 32–क(1) एवं 32–ख का उल्लंघन है । अधिनियम की धारा 32–क(1) एवं 32–ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2024 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट अधिसूचित अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 17 मार्च 2025 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था ।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू को अधिनियम की

धारा 32–ग सहपठित धारा 32–क एवं 32–ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 21.04.2025 जारी की गई, कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32–ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये निरर्हित किया जाए । कारण बताओ सूचना दिनांक 21.04.2025 के संदर्भ में अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू का जवाब/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा नगर पंचायत समोदा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन व्यय के लिये नवीन बैंक खाता क्रमांक 7387000100076104 दिनांक 12.02.2025 को खोला गया, तब तक निर्वाचन संबंधी सभी व्यय उधारी (क्रेडिट) पर चल रहा था, जिसका भुगतान नवीन बैंक खाता से किया गया है, लेख किया गया । राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 01.08.2025 द्वारा अभ्यर्थी श्री साहू के जवाब/अभ्यावेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रायपुर से वस्तुस्थिति की जानकारी/अभिमत चाहा गया, जिसके संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रायपुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19.08.2025, अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा निर्वाचन व्यय के लिये नवीन बैंक खाता दिनांक 12.02.2025 को खाला गया, तब तक निर्वाचन संबंधी सभी व्यय उधारी (क्रेडिट) पर चल रहा था, जिसका भुगतान उन्होंने नवीन बैंक खाता से किया है । रिटर्निंग ऑफिसर, नगर पंचायत समोदा द्वारा अभ्यर्थी श्री साहू को नोटिस दिनांक 07.02.2025 दिया गया था । नोटिस प्राप्ति के तत्काल पश्चात् श्री साहू को बैंक में खाता खुलवा लेना था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया । श्री साहू द्वारा व्यय लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं हैं । अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू द्वारा अपने जवाब/अभ्यावेदन में निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे हैं तथा इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण/न्यायोचित्यता रखने का उल्लेख भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह मानते हेतु कि अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू को अपने पक्ष के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, तदनुसार प्रकरण में उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई ।

4. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32(ग) –

''निर्वाचन व्ययों का लेखा दायित्व करने में असफलता के कारण निरर्हता – यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये उस आदेश की तारीख से ऐसी कालावधि, जो पॉच वर्ष से अनधिक होगा, के लिये निरर्हित होगा ।''

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रायपुर के प्रतिवेदनों, अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू का जवाब/अभ्यावेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत समोदा, जिला रायपुर के माह फरवरी 2025 में सम्पन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 32–क(1) तथा धारा 32–ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही, आयोग के कारण बताओ सूचना दिनांक 21.04.2025 के सन्दर्भ में प्रस्तुत जवाब/अभ्यावेदन में विहित रीति से निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार लेखा दाखिल करने में क्यों असफल रहे हैं तथा इस असफलता के लिए उन्होंने कोई यथोचित कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण/न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 32–ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी श्री देवनारायण साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32–ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण/न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये निरर्हित घोषित किया जाता है । अधिनियम की धारा 32–ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया ।

हस्ता./–

(अजय सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.